बिहार सरकार

पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर, 1991

सं० म०बंदो-134/91--1906 मत्स्य। पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) विभाग के संकल्प संख्या म०बंदो 39/91 (खंड) 1892/मत्स्य, दिनांक 22 अप्रील 1991 द्वारा राज्य के बहते नदियों तथा नदियों से लगे कोल और ढाव की बंदोबस्ती नहीं कर उनमें परम्परागत मछुआरों को तात्कालिक प्रभाव से निःशुल्क शिकारमाही की अनुमति दिये जाने से संबंधित सरकार के निर्णय की घोषणा की गयी थी। निःशुल्क शिकारमाही की अनुमति दिये जाने से संबंधित सरकार के निर्णय की घोषणा की गयी थी। निःशुल्क शिकारमाही वाले जलकरों की पहचान किये जाने तथा इनकी सूची उपलब्ध किये जाने हेतु जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता प्रभारी सैरात की अध्यक्षता में समिति भी गठित की गई थी। पुनः पत्र संख्या 1264, दिनांक 1 जुलाई 1991 द्वारा निःशुल्क शिकारमाही वाले जलकरों की पहचान हेतु विस्तृत सूचना विहित प्रपत्र में मांगी गई थी। अबतक प्राप्त मुख्य 16 जिलों में से जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर निःशुल्क शिकारमाही वाले जलकरों की सूची इसके साथ संलग्न की जा रही है और निदेश दिया जा रहा है कि इस अधिसूचित जलकरों की बंदोबस्ती नहीं होगी और इनमें निःशुल्क शिकारमाही परम्परागत मछुआरों द्वारा ही निम्नांकित शर्तों पर किया जायगा परम्परागत मछुआरों की पहचान और पहचान पत्र दिये जाने की कार्रवाई अलग से की जा रही है। पहचान पत्र में मछुआरों के फोटो के साथ ही उनके नाम पूरे पते एवं मछली मारने की सीमा भी अंकित रहेगी।

निःशुल्क शिकारमाही का शर्त्त

(क) पहली 1 जून से 31 अगस्त तक जो मछलियों के प्रजनन की अवधि है इस अवधि में शिकारमाही पूर्णतः बंद रहेगा।

(ख) पालने वाली मछलियों की सभी नस्लों की आंगुलिकाओं के मारने एवं मारे हुए आंगुलिकाओं की बिक्री पर निषेध रहेगा।

(ग) 4 से०मी० से कम फीस वाले फांसा जाल (गीलनेट) लगाने पर पूर्ण रोक रहेगा।

(घ) मछली मारने के विनाशकारी तरीके यथा डायनामाईट या विस्फोटक पदार्थ जहर या अन्य जहरीले पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

(ङ) मछलियों के आने जाने के रास्तों पर बाड़ी या किसी प्रकार के घेरा डालने या अवरोध किये जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

2. चूंकि पहली जून से 31 अगस्त तक मछलियों के प्रजनन के कारण शिकारमाही बंद रहेगा इसलिए परम्परागत मछुआरों की पहचान-पत्र के आधार पर इस अवधि में नदियों से स्पौन पकड़ने का अधिकार रहेगा। परन्तु पकड़े गये स्पॉन राज्य के बाहर या राज्य के अंदर उसी हालत में बिक्री की जायगी जब मत्स्य विभाग की स्पॉन की आवश्यकता की आपूर्त्ति निर्धारित दर पर पूरा कर दिया जाय। इस अवधि में निकटवर्त्ती प्रदेशों से भी कुछ मछुआरों जीरा पकड़ने हेतु आते हैं ये मछुआरे जिस क्षेत्र में जीरा पकड़ेंगे उस क्षेत्र के जिला मत्स्य पदाधिकारी और उस क्षेत्र के मत्स्य जीवी सहयोग समिति से संपर्क कर अपना निबंधन करायेंगे और इन्हें सीमित अवधि के लिये पहचान-पत्र दिया जायगा। चूंकि पूर्व में राज्य के बाहर से आये इन मछुआरों को भी संबंधित समितियों द्वारा 6 और 10 के अनुपात में जीरा संग्रह किये जाने का अधिकार दिया जाता था इसलिए यह प्रक्रिया पूर्ववत चालू रहेगी और प्रत्येक 16 बाटी संग्रह किये गये स्पॉन में से 6 बाटी समिति द्वारा लिया जायगा। परन्तु समिति अपने इस हिस्से में से विभाग को निर्धारित दर पर मांग अनुरूप आपूर्त्ति करने के बाद ही शेष स्पॉन का बिक्री राज्य के अंदर या बाहर करेगी। समिति को इसी से जो आय प्राप्त होगा वह समिति के मूल खाते में जायगी और नियमानुसार इसका उपयोग समिति द्वारा किया जायगा। समिति के हिस्से को छोड़कर शेष स्पॉन जो निकटवर्त्ती प्रान्त से आये मछुआरों के हिस्से का होगा, उसे भी मत्स्य विभाग की मांग के अनुरूप निर्धारित दर पर आपूर्त्ति करने के बाद ही वे इसे राज्य के अंदर या बाहर बेच सकेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० अरूमुगम,
सचिव।

ज्ञापांक—1906 मत्स्य

पटना, दिनांक 30 सितम्बर, 1991।

प्रतिलिपि—राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।सहकारिता विभाग, वित्त विभाग।ग्रामीण विकास विभाग।योजना विकास विभाग, को सूचनार्थ प्रेषित ।

के० अरूमुगम,
सचिव।

ज्ञापांक—1906 मत्स्य

पटना, दिनांक 30 सितम्बर, 1991।

प्रतिलिपि—सभीप्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिला समाहर्त्ता।सभी उपायुक्त।सभी अनुमंडलाधिकारी।सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

के० अरूमुगम,
सचिव।

ज्ञापांक—1906 मत्स्य

पटना, दिनांक 30 सितम्बर, 1991।

प्रतिलिपि—मत्स्य विभाग के सभी अधीनस्थ पदाधिकारी।निदेशालय के सभी पदाधिकारी।सभी कर्मचारी तथा मत्स्य जीवी सहकारी संघ मुसल्लहपुर हाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

के० अरूमुगम,
सचिव,